



266



न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. _____ / 2018 निगरानी

श्री. राजेन्द्र सिंह यादव
द्वारा अर्ज दि. 25/06/18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 5-7-18 नियत।

निगरानी-3894/2018/राजगढ़/भूदा

महेश कुमार पालीवाल पुत्र श्री राधेश्याम
पालीवाल, आयु 58 वर्ष, निवासी-
ब्यावरा जिला राजगढ़ (म.प्र.)

क्लर्क ऑफ कोर्ट 25-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

.....निगरानीकर्ता

-विरुद्ध-

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी ब्यावरा, जिलाराजगढ़ (म.प्र.)
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिलाराजगढ़ (म.प्र.)
3. अनुविभागीय अधिकारी (पी.डब्लू.डी. पथ एवं भवन) राजगढ़ जिलाराजगढ़ (म.प्र.)
4. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर राजगढ़ जिलाराजगढ़

.....अनावेदकगण

राजेन्द्र सिंह यादव

26/06/18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 विरुद्ध सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 14.5.2018 प्रकरण क्र. 5/रा.नि./18 एवं आदेश/ सूचना पत्र दिनांक 7.6.2018 प्रकरण क्र. 1584/2018 पारित द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका ब्यावरा जिलाराजगढ़.

नगर महाधिवक्ता, ग्वालियर
प्रति:
क्र. 07 से 29
दिनांक: 25/6/18
हस्ताक्षर व नाम:

श्रीमान,

आवेदक का निगरानी आवेदन निम्नलिखित प्रस्तुत है;

1. यह कि, आवेदक के स्वत्व व स्वामित्व एवं आधिपत्य का भवन वार्ड नं.11 (पुराना वार्ड नं.8) ए.बी. रोड ब्यावरा पर स्थित है जो 100 वर्ष से अधिक पुराना है जिसकी चतुर्सीमा उत्तर में 20 फीट 5 इंच, दक्षिण में 18 फीट 6 इंच, पश्चिम में 20 फीट 6 इंच एवं पूरब में 20 फीट 6 इंच है। उक्त भवन पूर्व में श्री केशरीमल नामदेव के द्वारा पूर्व भूमिस्वामी अजीत कुमार मित्तल से दिनांक 20.7.1972

3

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-08-19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त ब्याबरा जिला- राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक 05/रा.नि./2018 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, राजगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2- पक्षकार दिनांक 05-11-19 को कलेक्टर, जिला राजगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p> <p>(जे0 के0 जैन) सदस्य</p>	